फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामकिशोर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0 पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0–80/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि भूमि आराजी खाता संख्या 124, 54 वाके रामा पीलोडी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी में संवत 2064–67 में सही दर्ज था लेकिन सहवन से जमाबंदी संवत 2072–75 में हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थी खातेदारी भूमि कम हो गई। इसलिए राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई सहवन से त्रुटि को सही करते हुए विवादित भूमि में हिस्सा मुताबिक जमाबंदी संवत 2064–67 अनुसार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जावें। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से जवाब प्राप्त किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक एल.आर./2024/3646 दिनांक 17.12.2024 द्वारा जवाब पेश करते हुए जवाब में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि में जमाबंदी संवत 2064–67 में खातेदारान का जो हिस्सा दर्ज था उसे जमाबंदी संवत 2076 से स्थायी में हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है, तथा उक्त हिस्से का अंकन सहवन से हो गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस तथा पत्रावली एवं तहसीलदार सिकराय के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि में वर्तमान जमाबंदी में हिस्सा जमाबंदी संवत 2064–67 से अलग दर्ज किया गया है जो कि मुताबिक तहसीलदार सिकराय के जवाब सहवन से अंकित हो गया है न कि किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी में खातेदारान का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी संवत 2064–67 के अनुसार दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	